पत्रांक 328(11)

अत्यावश्यक

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी
सभी कोषागार पदाधिकारी
बिहार।

पटना, दिनांक – 18/07/12

विषयः **स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों, अन्य सभी अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों के वेतन निकासी विपत्र के साथ उनके आवासीय पता अंकित करने की अनिवार्यता के संबंध में।**

महोदय,

यह सूचना प्राप्त हो रही है कि स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों तथा विभिन्न अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित कतिपय चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी अपने पदस्थापन के मुख्यालय में आवास नहीं रखते तथा वे अन्यत्र से आना–जाना करते हैं। ऐसी परिस्थिति में वे समय पर अपने कर्त्तव्य पर न तो उपस्थित होते हैं, न ही चिकित्सा के काम में नियमानुसार अपना पूरा समय दे पाते हैं। यह भी सूचना प्राप्त है कि कई चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में रात्रि में चिकित्सकों का राउण्ड इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कतिपय चिकित्सक दोपहर बाद अपना मुख्यालय छोड़कर उस स्थान के लिए प्रस्थान कर जाते हैं जहॉ उनका आवास होता है।

सरकार इस स्थिति से चिंतित है। अवगत हैं कि सरकार द्वारा रोगियों को उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त संसाधनों का प्रबन्ध किया गया है। परंतु स्वास्थ्य कर्मियों एवं कतिपय चिकित्सकों के अपना आवास अपने मुख्यालय के बाहर अन्यत्र रखने के कारण रोगियों को चिकित्सा सुविधा मिलने में गंभीर बाधा खड़ी हो रही है।

अतएव स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन सभी अस्पतालों/ स्वास्थ्य केन्द्रों/ चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापित चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन निकासी विपत्र के साथ उनके आवासीय पता अंकित करने की अनिवार्यता लागू की जाती है। अतएव सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित के वेतन विपत्र तभी पारित किया जाए जब कि उनके विपत्र के साथ उनके मुख्यालय का आवासीय पता अवश्य अंकित रहे।

सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों तथा नियंत्रण पदाधिकारियों को निदेश दिया जा रहा है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के

वेतन विपत्र के साथ संबंधित का पदस्थापन मुख्यालय का पूर्ण आवासीय पता तथा बेसिक टेलीफोन नम्बर (यदि हो) अंकित रहे ताकि उनका वेतन विपत्र पारित हो सके।

यह प्रकिया अगस्त माह के वेतन विपत्र से लागू होगी।

विश्वासभाजन

17/7

(व्यास जी)
प्रधान सचिव